>kj[kaM f'k{kk ifj;kstuk] ykrsgkj

समाहरणालय भवन, दूसरीमंजिल, लातेहार,

दूरभाष सं0 : 06565–248083, ई–मेल % ssalatehar@gmail.com

झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हेरहंज में षिक्षिकाओं के चयन हेतु आवष्यक सूचना

1. विभागीय आदेष संख्या QU/40/207/2022/3060 दिनांक 03.08.2023 के आलोक में जिला में संचालित **झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय हेरहंज** में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्त्ताधारी **महिला अभ्यर्थियों** से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 16.12.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला षिक्षा पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र षिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र.	पदनाम	रिक्ति	रोस्टर					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
कक्षा 06 से कक्षा 08								
1	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला) भाषा (हिन्दी / अंग्रेजी)	1	1	0	0	0	0	1
2	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– गणित	1	1	0	0	0	0	1
3	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
4	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– सा0 विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
5	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– शारीरिक षिक्षा	1	1	0	0	0	0	1
कुल		**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
कक्षा 09 से कक्षा 12								
6	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला) भाषा (हिन्दी एवं अंग्रजी) प्रति विद्यालय 02 पद	2	1	0	0	0	1	2
7	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– विज्ञान (फिजिक्स+ गणित)	1	1	0	0	0	0	1
8	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– विज्ञान (केमेस्ट्री+ बायलोजी)	1	1	0	0	0	0	1
9	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– सामाजिक विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
10	पूर्णकालिक षिक्षिका (महिला)– अर्थषास्त्र	1	1	0	0	0	0	1
कुल		**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र अपने जिले के जिला षिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला कार्यालय, समग्र षिक्षा अभियान (SSA) में अनिवार्य रूप से दिनांक 16.12.2023 तक जमा करना सुनिष्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि –

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>पदनाम</th><th>वांछित अहर्ता</th><th>देय परिलब्धि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भाषा षिक्षिका (हिन्दी / अंग्रेजी)</td><td rowspan="5">1. शैक्षणिक अहर्ता:–किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विष्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक षिक्षिका यथा क्रमांक 1 से 10 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में, न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यार्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. प्रशैक्षणिक अहर्ता:–क्र.सं. 06 से 10 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड़. तथा क्र. सं. 01 से 04 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक षिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में षिक्षक प्रषिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक षिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/ Degree in Physical education अनिवार्य होगा।
3. षिक्षक पात्रता परीक्षा:–राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्षी सिद्धांतों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित षिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। शारीरिक षिक्षिका एवं कक्षा 09 से 12 हेतु TET अनिवार्य नहीं है।</td><td rowspan="5">1. षिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 15,840 / –प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50 प्रतिषत की वृद्धि देय हागी।
2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रू. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गणित षिक्षका</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विज्ञान षिक्षिका</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सामाजिक विज्ञान षिक्षिका</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिक्षिका–षारीरिक षिक्षा</td></tr>
</table>

चयन संबंधी दिषा–निदेष एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्ते निम्नवत हैं–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरूष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं षिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

4. आयुसीमा :–

I. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकत्तम उम्र 35 वर्ष होगी परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्राषासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या–29 दिनांक 04.01. 2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-1/BC-II)	38
3	Extremely Backward Classes (Annexure-I/ Backward Classes Annexure-II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench Mark Disability (PWBD)	A Relaxation of 10 years in their Respective category.

(II) अनुभवी महिला Ex- Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकत्तम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

(III) उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.06.2023 के आधार पर की जायेगी।

5. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय/झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक/अंषकालिक षिक्षिकाओं को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं एवं 64वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरूद्ध 01 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई है साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 05 प्रतिषत की सीमा तक छुट, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जा सकती है।
6. **आवेदन** :– सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 16.12.2023 के संध्या 05 :00 बजे तक जिले के जिला षिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र षिक्षा (SSA) के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकर किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
7. प्रकाषित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्ते, अहर्त्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिषा–निदेष जिला के अधिकारि वेबसाईट वेबसाईड **www.latehar.nic.in** पर उपलब्ध हैं। चयन से संबंधित सभी दिषा–निदेष उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।
8. **आवेदन के साथ संलग्न किए जानेवाले अनुलग्नक** :–
   (I) 23x10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा।
   (II) सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वः अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए।
   (III) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   (IV) झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।
9. झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
11. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेषक अथवा उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समीति, लातेहार को सुरक्षित रहेगा।
12. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाब देह होंगे।
13. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकर नहीं किया जाएगा।

जिला षिक्षा पदाधिकारी–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र षिक्षा अभियान,लातेहार।